HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16227/2025

Udaybhan Singh Gurjar Urf Gabbar S/o Shri Kunwar Singh, Aged About 25 Years, R/o Village Khori Ibrahimpur, Tehsil Badi Police Station Sadar District Dholpur (At Present The Petitioner Is Confined In Central Jaipur (Rajasthan).

----Accused/Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. R.B. Sharma Ganthola
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

27/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर जिला जयपुर सिटी (पूर्व) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 248/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 103(1), 55, 111(3), 310(4), 310(5), भारतीय न्याय संहिता तथा 3/25, 25(6), 25(8) आयुध अधिनियम में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, वह दिनांक 20.10.2025 से अभिरक्षा में है, उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने एवं उसे जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थी/अभियुक्त के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड तथा अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

जमानत प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वर्तमान प्रकरण में घटना के तथ्यों के अनुसार दिनांक 20.10.2025 को पुलिस द्वारा टैक्सी गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें 4 व्यक्ति बैठे हुए मिले। चारों के पास देशी हथियार, कट्टे व कारतूस मिले। अन्य व्यक्ति जो उक्त वाहन में बैठे हुए थे, उनमें से रामकुमार गुर्जर, रामनाथ तथा रामभान उर्फ चंद्रभान उर्फ चंदू का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 918/2026 आदेश दिनांक 23.02.2026 को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। सहअभियुक्त संतोषी उर्फ भूरा का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1489/2026 आदेश दिनांक 27.01.2026 को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त का प्रकरण उनसे भिन्न नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 20.10.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है यद्यपि प्रार्थी/अभियुक्त पर पूर्व में भी समान प्रकृति के आपराधिक प्रकरण दर्ज रहे हैं तथापि प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को सशर्त जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **उदयभान सिंह गुर्जर उर्फ गब्बर पुत्र श्री कुँवर सिंह** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां

प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे। यदि भविष्य में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पुनः समान प्रकृति का अपराध कारित किया जाता है तो अभियोजन पक्ष प्रार्थी/अभियुक्त को प्रदत्त जमानत सुविधा को निरस्त करवाने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI /21